BY HAND/ EMAIL

विकसित भारत अभियान

कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

फा.सं. II–31(189)सीसीयू/जेजेड/2024/ दिनांक : 14.08.2024

ज्ञापन (MEMORANDUM)

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा जारी पत्र फा. सं. A-50/2/2023-Ad-IIIB दिनांक 18.07.2024 एवं पत्र फा. सं. A-50/2/2023-Ad-IIIB दिनांक 26.07.2024 एवं लॉजिस्टिक्स निदेशालय, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, नई दिल्ली के पत्र फा. सं. DOL/II/(3)/4/2021-COMM-DoL-DELHI दिनांक 19.07.2024 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिशेष दूरसंचार कर्मियों को वेतनमान पी.बी.–2 रू. 9300–34800 तथा ग्रेड वेतन रू. 4600/– {पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू 44900–142400 में लेवल 7 (Level-7 in the Pay Matrix Rs. 44900&142400)} एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में **निरीक्षक, सी.जी.एस.टी. (ग्रुप–ब, अराजपत्रित)** के पद पर नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है:–

कम सं.	नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि	श्रेणी	वर्तमान पदनाम
1	Joginder Singh Dahiya	01.08.1971	Gen	Senior Technical Assistant
2	Mool Chand Rohlania	12.07.1966	SC	Communication Assistant

उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अनुसार रहेगी :–

1. उनका निरीक्षक पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा। उन्हें दो वर्ष के अन्दर निरीक्षक पद पर स्थायीकरण हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा उनके विरूद्ध विभागीय परीक्षा नियमावली के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
2. DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 के पैरा 15 और 18 के अनुसार उनकी परिवीक्षा की अवधि की उक्त दशा में ऐसी अवधि या अवधियों (कुल परिवीक्षा की अवधि की निर्धारित अवधि से दोगुनी से अधिक नहीं) के अनुसार बढाई जा सकती है : (क) निर्धारित प्रशिक्षण से नहीं गुजरना, (ख) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना या (ग) किसी भी तरह की छुट्टी का लाभ उठाने के कारण परिवीक्षा के लिए निर्धारित कुल अवधि का 75% पूरा नहीं करना।

Jain

3. उनकी निरीक्षक श्रेणी में वरीयता केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा जारी पत्र फा. सं. A-50/2/2023-Ad-IIIB दिनांक 26.07.2024 एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

4. वे राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं। साथ ही वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र संख्या ए.32022/19/2008–प्रशा.तृतीय.ए दिनाक 19.11.2010 के अनुसार उपरोक्त उम्मीदवारों की All India Transfer Liability रहेगी। उनको यह वचन देना होगा कि "मैं सी.जी.एस.टी., केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, जयपुर परिक्षेत्र, जयपुर के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी जैसा कि वह समय–समय पर गठित किया जाये, नौकरी करने को सहमत हूँ।"

5. उनको यह भी नोट कर लेना चाहिए कि उनको इस विभाग में प्रचलित तथा सरकार द्वारा समस्त कर्मचारियों पर समय–समय पर लागू किये गये अनुशासन और आचरण संबंधी नियमों की अनुपालना करनी होगी।

6. यदि वे **उपरोक्त वर्णित शर्तों** को स्वीकार करते हों तो दिनांक **13.09.2024** को या इससे पहले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निरीक्षक पद पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ उन्हें अपने वर्तमान सक्षम नियंत्रण अधिकारी द्वारा इस ज्ञापन के सन्दर्भ में कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति भी संलग्न करनी होगी। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा।

(सी. के. जैन)
प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. निजी प्रति ।
2. निदेशक (ए.डी.III.बी), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, Gr. Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi – 110066 को उनके पत्र F. No. A-50/2/2023-Ad-IIIB दिनांक 18.07.2024 एवं दिनांक 26.07.2024 के संदर्भ में।
3. अपर आयुक्त, लॉजिस्टिक्स निदेशालय, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, चतुर्थ तल, ए–खंड, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली–110511 को उनके पत्र फा. सं. DOL/II/(3)/4/2021-COMM-DoL-DELHI दिनांक 19.07.2024 के संदर्भ में।
4. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशासन/सतर्कता), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर।
6. मु.ले.अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी/प्रशा. अधिकारी (स्था./मु.) अधीक्षक (सत.), सीमा शुल्क, जयपुर।
7. वेतन एंव लेखा अधिकारी, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क, जयपुर।
8. निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका / गार्ड फाईल / नोटिस बोर्ड/वरीयता सूची।
9. महा सचिव, निरीक्षक एसोसिएशन, जयपुर।
10. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(सी. के. जैन)
प्रधान आयुक्त